

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) कोर्ट केस-12-10/2014/राँची, दिनांक

तार्किक आदेश

1. (i) यह मामला लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के अधीन जिला प्रशासन, दुमका से मनरेगा के तहत प्राप्त निधि के वित्तीय अनियमितता से संबंधित है।
- (ii) लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के अधीन लघु सिंचाई अनुमण्डल, काठीकुण्ड के तत्कालीन सहायक अभियंता, श्री प्रकाश चन्द्र झा के साथ कनीय अभियंता के रूप में श्री पुरुषोत्तम चौधरी, श्री रामाधार सिंह एवं श्री रामेश्वर मिस्त्री, कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत थे।
- (iii) विभागीय अधिसूचना सं०-257 दिनांक- 28.06.2008 के अनुपालन में श्री प्रकाश चन्द्र झा, सहायक अभियंता ने अपना पदभार दिनांक- 08.08.2008 को प्रतिस्थानी श्री राम लखन सिंह, सहायक अभियंता को सौंपा लेकिन विधिवत् रोकड़बही एवं अन्य अभिलेख का प्रभार नहीं सौंपा।
- (iv) श्री झा द्वारा लघु सिंचाई अनुमण्डल, काठीकुण्ड के रोकड़बही एवं लेखा का प्रभार दिनांक- 20.12.2008 को प्रमण्डलीय कार्यालय में सौंपा गया। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका द्वारा श्री झा द्वारा पूर्व में समर्पित लेखा दिनांक - 06.08.2008 (प्रभार के पूर्व) तथा वर्तमान लेखा बंदी दिनांक- 20.12.2008 में कनीय अभियंताओं को प्रदत्त अग्रिम तथा बैंक खाता में जमा राशि के अंतर को वित्तीय अनियमितता महसूस करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक- 20 दिनांक- 17.01.2009 द्वारा उपायुक्त, दुमका से दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया।
- (v) उपायुक्त, दुमका के कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 238 दिनांक- 17.02.2009 द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत किये गये :-
 - (क) श्री प्रकाश चन्द्र झा, सहायक अभियंता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई
 - (ख) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दुमका द्वारा लेखा बही की जाँच कर गबन की गई राशि का आकलन करना।
 - (ग) श्री झा, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रपत्र-‘क’ का गठन।
- (vi) उक्त आदेश के अनुपालन में श्री झा के विरुद्ध दुमका थाना कांड सं०-12/2009 दिनांक- 22.02.2009 दर्ज किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका एवं जिला भविष्य निधि पदाधिकारी के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री झा को दोषी मानते हुए वित्त विभाग के अंकेक्षण दल से वास्तविक स्थिति का आकलन कराने की अनुशंसा की गई।

(vii) पूर्ण स्थिति उपायुक्त, दुमका द्वारा विभाग में भेजे जाने पर विभागीय ज्ञापांक- 1729 दिनांक- 18.05.2009 द्वारा श्री झा को निलंबित करते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय ज्ञापांक- 1779 दिनांक- 19.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

(viii) श्री झा, के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में यह पाया गया कि इस वित्तीय अनियमितता में श्री झा के साथ-साथ सर्वश्री श्री पुरुषोत्तम चौधरी, श्री रामाधार सिंह एवं श्री रामेश्वर मिस्त्री, कनीय अभियंता भी संलिप्त हैं।

(ix) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग का अंकेक्षण प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इस मामले में विवादास्पद अग्रिम की राशि 17,53,434/- रु० है, जिसमें से 11,00,000/- रु० की राशि चेक द्वारा भुगतान किया गया है तथा शेष 6,53,434/- रु० नगद भुगतान किया गया है।

(x) उक्त तीनों अभियंताओं के विरुद्ध अग्रिम की राशि निम्नवत् पायी गयी :-

क्र०	अभियंता का नाम	अग्रिम की राशि	चेक द्वारा	नकद
1.	श्री पुरुषोत्तम चौधरी	11,53,434/-	5,00,000/-	6,53,434/-
2.	श्री रामाधार सिंह	4,00,000/-	4,00,000/-	
3.	श्री रामेश्वर मिस्त्री	2,00,000/-	2,00,000/-	
	कुल	17,53,434/-	11,00,000/-	6,53,434/-

3. उपरोक्त स्थिति के आधार पर श्री पुरुषोत्तम चौधरी, श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43बी० के तहत क्रमशः विभागीय संकल्प सं०- 7625 दिनांक- 31.12.2012 एवं विभागीय संकल्प सं०-7624 दिनांक- 31.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं श्री रामेश्वर मिस्त्री, तत्कालीन कनीय अभियंता को विभागीय ज्ञापांक- 7473 दिनांक- 27.12.2012 द्वारा निलंबित करते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय संकल्प सं०- 321 दिनांक- 22.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

4. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा में पाया गया कि वित्त अंकेक्षण में कुल 17,53,434/- रुपये के अग्रिम की बात प्रकाश में आयी, जिसमें 11,00,000/- रुपये चेक के माध्यम से विभिन्न कनीय अभियंताओं को अग्रिम स्वरूप दिया गया। शेष 6,53,434/- रुपये श्री पुरुषोत्तम चौधरी को नगद देने की बात तत्कालीन सहायक अभियंता के द्वारा कही गयी। उक्त नगद राशि 6,53,434/- रुपये में 1,98,434/- रुपये का कोई स्पष्ट हिसाब या स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। फलतः यह राशि श्री प्रकाश चन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियंता के जिम्मे ही मानी जा सकती है।

5. समीक्षोपरान्त उक्त अभियंताओं के विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1940 दिनांक- 04.03.2014 द्वारा निम्न राशि की वसूली हेतु आदेश निर्गत किया गया :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	कुल राशि रु
1.	श्री पुरुषोत्तम चौधरी, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त)	9,55,000/- (नौ लाख पचपन हजार रुपये) एवं उक्त राशि पर दिनांक- 30.11.2008 के प्रभाव से 12% सूद की राशि अतिरिक्त
2.	श्री रामाधार सिंह, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त)	4,00,000/- (चार लाख रुपये) एवं उक्त राशि पर दिनांक- 30.11.2008 के प्रभाव से 12% सूद की राशि अतिरिक्त
3.	श्री रामेश्वर मिस्त्री, कनीय अभियंता, (सेवानिवृत्त)	2,00,000/- (दो लाख रुपये) एवं उक्त राशि पर दिनांक- 30.11.2008 के प्रभाव से 12% सूद की राशि अतिरिक्त

4.	श्री प्रकाश चन्द्र झा, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त)	1,98,434/- (एक लाख अठानब्बे हजार चार सौ चौत्तीस रुपये) एवं उक्त राशि पर दिनांक- 30.11.2008 के प्रभाव से 12% सूद की राशि अतिरिक्त
----	--	--

6. उक्त के विरुद्ध वादी श्री रामाधार सिंह, कनीय अभियंता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में याचिका सं०- W.P(S) No. 2471/2014 दायर किया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 15.03.2021 को न्यायनिर्णय पारित है। पारित न्यायनिर्णय दिनांक- 15.03.2021 का मुख्य अंश निम्नवत् है :-

.....7. In view of the aforesaid facts and circumstances of the case and the admitted position that no second show cause notice has been served to the petitioner before imposing penalty; the instant writ application deserves to be allowed. Consequently, order of punishment as contained in Memo No. 1940 dated 04.03.2014 and also the order passed by the Accountant General is, hereby, quashed and set aside.

The matter is remitted back to the department to pass a fresh order after issuing second show cause notice to this petitioner and after getting his reply, if any, after following the principles of natural justice. It goes without saying that the fresh order must be passed within a period of four months from the date of receipt/ production of copy of this order.

8. With the aforesaid terms, the instant writ application stands partly allowed.

7. वर्णित स्थिति में विभागीय स्तर पर मामले के समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा याचिका सं० - WP(S) No. - 2471/2014 में दिनांक- 15.03.2021 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

- विभागीय आदेश सं०- 1940 दिनांक- 04.03.2014 को निरस्त किया जाता है।
- मामले का निस्तार हेतु नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त दण्डादेश में शामिल वादी श्री रामाधार सिंह एवं अन्य अभियंताओं को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त कर किया जायेगा।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 3979 / राँची, दिनांक 25/08/21

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री रामाधार सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, ग्राम-केशोडीह, पो०-बेनसागर भाया-संझौली, जिला- रोहतास (बिहार)/श्री रामेश्वर मिस्त्री, कनीय अभियंता (सेवानिवृत्त), शिवमंदिर चौक, हिजला रोड, पुराना दुमका- 814101/श्री चन्द्र प्रकाश झा, सहायक अभियंता (यांत्रिक) सेवानिवृत्त, ग्राम-लदारी, पोस्ट-समैला लालगंज, थाना-केवटी, जिला- दरभंगा (बिहार) पिन- 847121/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव